

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 90

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1537.81	...	1537.81	2275.70	...	2275.70	2460.13	...	2460.13	3446.64	...	3446.64
वसूलियां	-70.47	...	-70.47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>1467.34</b>	<b>...</b>	<b>1467.34</b>	<b>2275.70</b>	<b>...</b>	<b>2275.70</b>	<b>2460.13</b>	<b>...</b>	<b>2460.13</b>	<b>3446.64</b>	<b>...</b>	<b>3446.64</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	38.06	...	38.06	71.04	...	71.04	75.89	...	75.89	55.48	...	55.48
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
2. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	498.09	...	498.09	1100.00	...	1100.00	662.90	...	662.90	...	...	...
3. औद्योगिक और उद्यमिता विकास	...	...	...	74.00	...	74.00	...	...	...	...	...	...
4. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड)	...	...	...	...	...	...	672.10	...	672.10	2300.00	...	2300.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>498.09</b>	<b>...</b>	<b>498.09</b>	<b>1174.00</b>	<b>...</b>	<b>1174.00</b>	<b>1335.00</b>	<b>...</b>	<b>1335.00</b>	<b>2300.00</b>	<b>...</b>	<b>2300.00</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
5. स्वायत्तशासी संस्थानों को सहायता	901.20	...	901.20	940.66	...	940.66	959.24	...	959.24	994.16	...	994.16
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
6. जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद	50.46	...	50.46	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	42.00	...	42.00
<b>अन्य</b>												
7. अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईसीजीईवी)	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	55.00	...	55.00
8. वास्तविक वसूलियां	-70.47	...	-70.47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>-20.47</b>	<b>...</b>	<b>-20.47</b>	<b>50.00</b>	<b>...</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>...</b>	<b>50.00</b>	<b>55.00</b>	<b>...</b>	<b>55.00</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>931.19</b>	<b>...</b>	<b>931.19</b>	<b>1030.66</b>	<b>...</b>	<b>1030.66</b>	<b>1049.24</b>	<b>...</b>	<b>1049.24</b>	<b>1091.16</b>	<b>...</b>	<b>1091.16</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1467.34</b>	<b>...</b>	<b>1467.34</b>	<b>2275.70</b>	<b>...</b>	<b>2275.70</b>	<b>2460.13</b>	<b>...</b>	<b>2460.13</b>	<b>3446.64</b>	<b>...</b>	<b>3446.64</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	1429.28	...	1429.28	2087.26	...	2087.26	2250.74	...	2250.74	3161.16	...	3161.16
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	38.06	...	38.06	71.04	...	71.04	75.89	...	75.89	55.48	...	55.48
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>1467.34</b>	<b>...</b>	<b>1467.34</b>	<b>2158.30</b>	<b>...</b>	<b>2158.30</b>	<b>2326.63</b>	<b>...</b>	<b>2326.63</b>	<b>3216.64</b>	<b>...</b>	<b>3216.64</b>
<b>अन्य</b>												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	117.40	...	117.40	133.50	...	133.50	230.00	...	230.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>117.40</b>	<b>...</b>	<b>117.40</b>	<b>133.50</b>	<b>...</b>	<b>133.50</b>	<b>230.00</b>	<b>...</b>	<b>230.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1467.34</b>	<b>...</b>	<b>1467.34</b>	<b>2275.70</b>	<b>...</b>	<b>2275.70</b>	<b>2460.13</b>	<b>...</b>	<b>2460.13</b>	<b>3446.64</b>	<b>...</b>	<b>3446.64</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
<b>जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद</b>												
1. जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद	...	27.24	27.24	...	20.50	20.50	...	16.00	16.00	...	16.00	16.00
<b>जोड़-जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद</b>	<b>...</b>	<b>27.24</b>	<b>27.24</b>	<b>...</b>	<b>20.50</b>	<b>20.50</b>	<b>...</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>...</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>
<b>जोड़</b>	<b>...</b>	<b>27.24</b>	<b>27.24</b>	<b>...</b>	<b>20.50</b>	<b>20.50</b>	<b>...</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>...</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीवीटी) के सचिवालय के व्यय के लिए है।

2. **जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास:** अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामाजिक विकास के तहत अनुसंधान और विकास परियोजनाओं सहित मानव संसाधन विकास, जैवसूचना विज्ञान, बायोटेक सुविधाएं, उत्कृष्टता केंद्र और अंतर-संस्थागत केंद्र, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसमें चिन्हित प्रमुख राष्ट्रीय मिशन भी शामिल हैं।

3. **औद्योगिक और उद्यमिता विकास:** वे स्कीमें जिनके लिए सहायता दी जाती है उनमें सार्वजनिक निजी भागीदारी कार्यक्रम, बायो-क्लस्टर और बायोटेक पार्क शामिल हैं।

4. **जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड):** जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड) मौजूदा दो योजनाओं जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) तथा औद्योगिक और उद्यमिता विकास

(आई एंड ईडी) की एक एकीकृत योजना है, जिसमें 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए बायोमैनुफैक्चरिंग और बायोफाउंड्री नामक एक नया घटक है।

5. **स्वायत्तशासी संस्थानों को सहायता:** विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अनुसंधान, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी विकास के कार्य में लगे 16 स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थान हैं अर्थात : (i) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली; ii) राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, पुणे; iii) डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग और नैदानिक केंद्र, हैदराबाद; iv) राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, गुडगांव; v) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; vi) जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल; vii) जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर; viii) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद; ix) राजीव गांधी जैवप्रौद्योगिकी केंद्र, तिरुवनन्तपुरम; x) राष्ट्रीय जैवचिकित्सा जीनोमिक संस्थान, कल्याणी; xi) क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद; xii) राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली; xiii) इंस्टीट्यूट फॉर स्टैम सेल रिसर्च एंड रिजेनेरेटिव मेडिसिन, बंगालुरु; xiv) राष्ट्रीय पशु जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद; और xv) नवाचार अनुप्रयुक्त जैव प्रसंस्करण केंद्र, मोहाली।

6. **जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद:** यह प्रावधान इस विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे गैर-लाभ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम; नामतः जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के लिए किया गया है।

7. **अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईसीजीईबी):** "आईसीजीईबी यूएनआईडीओ की एक विशेष परियोजना के रूप में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है। आईसीजीईबी केंद्र, नई दिल्ली को आईसीजीईबी संगठन के एक हिस्से के रूप में आईसीजीईबी संविधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आईसीजीईबी, नई दिल्ली केंद्र अपनी गतिविधियों के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग से वित्तपोषण प्राप्त करता है। आईसीजीईबी, नई दिल्ली बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संगठन नहीं है और इसका लेखा संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है।"